2

अध्याय

संगठनात्मक ढांचा और कार्य

संगठनात्मक ढांचा और कार्य

विजन

कोयला मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य कोयले की उपलब्धता हासिल करने हेतु इसके विजन से जुड़ा है जिससे कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की मांग को पर्यावरण के अनुकूल और स्थायी तरीके से पूरा करने के लिए कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके तथा सरकारी कंपनियों के माध्यम से उत्पादन में तेजी लाने और अत्याधुनिक, स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों द्वारा कैप्टिव खनन प्रमाणिक संसाधनों को बढ़ाने पर बल देते हुए अन्वेषण प्रयासों में वृद्धि करने तथा कोयले की तत्काल निकासी हेतु आवश्यक संरचना का विकास करने के समग्र मिशन को पूरा किया जा सके।

उद्देश्य

- कोयला उत्पादन तथा आफटेक, ओबीआर हटाने, लिग्नाइट उत्पादन तथा लिग्नाइट आधारित विद्युत उत्पादन के लिए वार्षिक कार्य योजना लक्ष्यों को प्राप्त करना सुनिश्चित करना।
- कोयला तथा धुले हुए कोयले के उत्पादन में तेजी लाने हेतु अवसंरचना विकास
- पर्यावरणीय कठिनाइयों को कम करने हेतु प्रौद्योगिकी की लिवरेजिंग
- अत्याधुनिक अनुसंधान तथा विकास पहल
- संसाधन आधार में वृद्धि करने हेतु अन्वेषण में वृद्धि
- ग्राहक सेवाओं में गुणवत्ता और विश्वसनीयता
- अंतरमंत्रालयी मुद्दों में तेजी तथा संयुक्त समाधान
- कोल इंडिया की क्षमता में सुधार
- निजी निवेश आकर्षित करना
- पारदर्शी तरीके से कोयला ब्लॉकों का आबंटन

कोयला मंत्रालय के कार्य

कोयला मंत्रालय का सरोकार भारत में कोयला तथा लिग्नाइट भंडारों के अन्वेषण, विकास तथा दोहन से संबंधित है। कोयला मंत्रालय को समय–समय पर संशोधित भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियमावली 1961 के अनुसार आवंटित कार्य (अधीनस्थ अथवा स्वायत्त संगठनों तथा संबद्ध विषयों से जुड़े पीएसयू) में निम्नलिखित शामिल हैं:–

(i) भारत में कोकिंग कोयला और नान कोकिंग कोयला तथा लिग्नाइट भंडारों का अन्वेषण, विकास तथा दोहन।

(ii) कोयले का उत्पादन, आपूर्ति, वितरण तथा कीमत निर्धारण से संबंधित सभी मामले।

(iii) ऐसी कोयला वाशरियों को छोड़कर जिनके लिए इस्पात विभाग जिम्मेदार है, कोयला वाशरियों का विकास और प्रचालन।

(iv) कोयले का निम्न तापीय कार्बनीकरण तथा कोयले से संश्लिष्ट तेल का उत्पादन।

(v) कोयला गैसीकरण से संबंधित सभी कार्य।

(vi) कोयला खान (संरक्षण और विकास) अधिनियम, 1974 (1974 का 28) का प्रशासन, कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 (1948 का 46) का प्रशासन, खानों से उत्पादित और प्रेषित किए गए कोक और कोयला पर उत्पाद–शुल्क की उगाही और संग्रहण के लिए खान अधिनियम, 1952 (1952 का 32) के अंतर्गत नियमावली और बचाव निधि का प्रशासन, कोयलाधारी क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) का प्रशासन, खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) तथा अन्य संघीय कानूनों का प्रशासन, जहां तक उक्त अधिनियम और कानूनों का संबंध कोयला और लिग्नाइट तथा रेत भराई और ऐसे प्रशासन से संबंधित कार्य, जिसमें विभिन्न राज्यों से संबंधित प्रश्न शामिल हैं, कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनियम, 1973 (1973 का 26) का प्रशासन। कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 का प्रशासन।

संगठन ढांचा

कोयला मंत्रालय के सचिवालय के प्रमुख सचिव हैं, जिनकी सहायता के लिए एक विशेष सचिव, पांच संयुक्त सचिव (वित्तीय सलाहकार सहित), एक परियोजना सलाहकार, एक आर्थिक सलाहकार, निदेशक/उप सचिव, एक निदेशक (तकनीकी), दस अवर सचिव, बीस अनुभाग अधिकारी, एक संयुक्त निदेशक (रा. भा.), एक सहायक निदेशक (रा.भा.), एक सहायक निदेशक (आईईएस) एक लेखा नियंत्रक, एक उप लेखा नियंत्रक, दो वरिष्ठ लेखा अधिकारी तथा चार सहायक लेखा अधिकारी तथा उनके सहायक कर्मचारी हैं।

अधीनस्थ तथा स्वायत्तशाशी संगठन

कोयला मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कोयला नियंत्रक संगठन (सीसीओ) का कार्यालय – एक अधीनस्थ कार्यालय है तथा कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ) – एक स्वायत्तशासी संगठन है।

सार्वजनिक क्षेत्र/संयुक्त क्षेत्र की कंपनियां

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)

कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) एक "महारत्न" कंपनी है जिसका मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल में है। सीआईएल विश्व में कोयला उत्पादन करने वाली एक मात्र सबसे बड़ी कंपनी तथा 01 जनवरी, 2016 की स्थिति के अनुसार 3,26,032 जनशक्ति सहित सबसे बड़ा नियोक्ता कारपोरेट है। कोल इंडिया लिमिटेड के पास 227 भूमिगत, 175 ओपनकास्ट तथा 28 मिश्रित खानें हैं।

कोल इंडिया एक होल्डिंग कंपनी है जिसकी सात पूर्ण स्वामित्व वाली कोयला उत्पादक सहायक कंपनियां तथा एक खान योजना एवं कंसलटेंसी कंपनी है। इसके नियंत्रण में कोयला भंडारों की पहचान, विस्तृत अन्वेषण तथा डिजाइन और कार्यान्वयन और इसकी खानों में कोयला निकासी हेतु प्रचालन को ईष्टतम करना है। सीआईएल की सहायक कंपनियां निम्नलिखित हैं:–

- ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल), सैंक्टोरिया, पश्चिम बंगाल
- भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल), धनबाद, झारखंड
- सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल), रांची, झारखंड
- साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल), बिलासपुर, छत्तीसगढ़
- वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल), नागपुर, महाराष्ट्र
- नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल), सिंगरौली, मध्य प्रदेश
- महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल), संबलपुर, ओड़िसा
- सेन्ट्रल माइन प्लानिंग और डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल), रांची, झारखंड, कंसलटेंसी कंपनी है।

नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स (एनईसी) मार्घरिटा, असम में प्रचालनरत एक छोटी कोयला उत्पादन ईकाई है जो सीआईएल के प्रत्यक्ष प्रचालन नियंत्रण में है।

इसके अलावा, सीआईएल ने मोजांबिक में 2 कोयला ब्लॉकों के विकास के लिए एक कंपनी कोल इंडिया अफ्रीकाना लिमिटाडा (सीआईएल) को शामिल किया है।

एमसीएल की तीन सहायक कंपनियां हैं नामतः एमएनएच शक्ति लि., एमजेएसजे कोल लि. तथा महानदी बेसिन पावर लि.।

एसईसीएल ने दो सहायक कंपनियों अर्थात् मैसर्स छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लि. तथा मैसर्स छत्तीसगढ़ ईस्ट–वेस्ट रेलवे लि. को शामिल किया था।

कोल इंडिया के प्रमुख उपभोक्ता हैं विद्युत और इस्पात क्षेत्र। इसके अलावा अन्य क्षेत्रकों में सीमेंट, उर्वरक, ब्रिक किल्न तथा छोटे उद्योग शामिल हैं।

सिंगरैनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल)

सिंगरैनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) तेलंगाना सरकार तथा भारत सरकार का एक संयुक्त उद्यम है जिसमें क्रमशः 51:49 के अनुपात में इक्विटी भागीदारी है। एससीसीएल का प्राणहिता– गोदावरी घाटी में 9806.52 मिलियन टन प्रामाणिक भंडार है। एससीसीएल वर्तमान में लगभग 58214 श्रमशक्ति सहित तेलंगाना के चार जिलों में 16 ओपनकास्ट तथा 31 भूमिगत खानें प्रचालित कर रही है। ओडिशा के अंगुल जिले

में अगस्त, 2015 में एससीसीएल को नैनी कोयला ब्लॉक आबंटित किया गया था जिसके लिए खनन पूर्व कार्यकलाप चल रहे हैं।

नेयवेली लिग्नाईट कारपोरेशन लिमिटेड (एनएलसी)

नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड एक ''नवरत्न'' कंपनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय चेन्नई में तथा कारपोरेट कार्यालय नेयवेली, तमिलनाडु में है जो कि ऊर्जा क्षेत्र में सार्वजनिक उपक्रमों में अग्रणी है। एनएलसी निम्नलिखित का प्रचालन करती है:–

- नेयवेली में 28.5 मि.टन. प्रतिवर्ष की कुल क्षमता से तीन ओपनकास्ट लिग्नाइट खानें तथा बरसिंगसर, राजस्थान में 2.1 मि.टन. प्रति वर्ष की क्षमता से एक ओपनकास्ट लिग्नाइट खान।
- नेयवेली में 2990 मे.वा. की कुल स्थापित क्षमता सहित चार तापीय विद्युत स्टेशन तथा बरसिंगसर राजस्थान में 250 मे.वा. की कुल स्थापित क्षमता सहित एक तापीय विद्युत स्टेशन।
- 28 सितंबर, 2015 को नेयवेली में 10 मे.वा. के सौर विद्युत संयंत्र को चालू किया गया था। कझनीरकुलम, तिरुनेलवेली जिला, तमिलनाडु में 51 मे.वा. पवन विद्युत परियोजना में दिसंबर, 2015 तक 21 मे.वा. की क्षमता सहित 14 डब्ल्यूटीजी (1.5मे.वा.X14) चालू किए गए।
- एनएलसी तमिलनाडु पावर लि. (एनटीपीएल), एनएलसी तथा टीएनजीईडीसीओ का एक संयुक्त उद्यम (89:11 के अनुपात में इक्वीटी भागीदारी) के माध्यम से टुटीकोरीन, तमिलनाडु में 500 मे.वा. की क्षमता की दो इकाइयों सहित कोयला अधारित ताप विद्युत परियाजना चालू की गई है। यूनिट – I 18 जून, 2015 को तथा यूनिट – II 29 अगस्त, 2015 को चालू की गई थी।
- दिसंबर, 2015 में एनएलसी की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 4271 मे.वा. थी।

एनएलसी की सभी खानें गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, पर्यावरणीय प्रबंधन प्रणाली तथा पेशागत स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ से प्रमाणित है। एनएलसी के सभी विद्युत स्टेशन भी गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली तथा पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ से प्रमाणित है।

कोयला नियंत्रक का संगठन (सीसीओ)

कोयला नियंत्रक संगठन (सीसीओ), कोयला मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है और इसका मुख्यालय कोलकाता में है और धनबाद, राँची, बिलासपुर, नागपुर सम्बलपुर, कोठागुदेम और आसनसोल में इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में एक जीएम/डीजीएम स्तर के कार्यपालक अधिकारी और उनकी सहायता के लिए अन्य तकनीकी अधिकारी होते हैं। चयनित खानों में गुणवत्ता की जांच करने के लिए निरीक्षण करने के अलावा, क्षेत्रीय अधिकारी कोयला गुणवत्ता से संबंधित विशिष्ट आदेशों के साथ अनुपालन सुनिश्चित करने और सांविधिक शिकायतों का समाधान करने के लिए नियमित निरीक्षण भी करते हैं। उपरोक्त गुणवत्ता सर्वेक्षण के अलावा, क्षेत्रीय अधिकारियों को कोयला खान (संरक्षण एवं विकास) नियम, 1975 (2011 में संशोधित) के अंतर्गत सीसीडीए सहायता से संबंधित क्षेत्रीय कार्य; कोलियरी नियंत्रण नियम, 2004 के अंतर्गत खानों की सीमों को खोलने / फिर से खोलने की अनुमति और कोयला कंपनियों के साथ समन्वय भी सौंपा गया है। इसके अलावा, चार विशेष कार्य अधिकारियों को क्षेत्रीय कार्यालयों का समन्वय करने के लिए कोयला नियंत्रक का संगठन, कोलकाता में तैनात किया गया है। यह कार्यालय एनईसी कमान क्षेत्र की कोयला खानों का कार्य भी देखता है तथा कोयला नियंत्रक को विभिन्न मामलों में सहायता भी करता है।

कोयला नियंत्रक के कार्यालय में एक पूर्ण सांख्यिकीय स्कन्ध है जिसमें दो आईएसएस अधिकारी तथा अन्य सहयोगी स्टाफ हैं जो नियमित आधार पर कोयला सांख्यिकियों के एकत्रीकरण, समेकन एवं प्रकाशन के लिए उत्तरदायी है। सीसीओ, भारत सरकार में कोयला सांख्यिकियों का एक प्रमुख स्रोत है।

सीसीओ की सहायता उप–सहायक कोयला नियंत्रकों एवं अन्य अधिकारियों की समूह द्वारा भी की जाती है जो रेत भरायी के उत्पाद शुल्क को एकत्र करने तथा अन्य तकनीकी एवं प्रशासनिक कार्यों में सीसीओ की सहायता करते हैं।

विशेष कार्य अधिकारी तथा उप–सहायक कोयला नियंत्रक केप्टिव कोयला ब्लॉकों, एस्क्रों लेखों को खोलने, न्यायिक मामलों से निपटने, रेत भरायी संबंधी उत्पादन शुल्क के संग्रह की निगरानी करने, सीसीडीए, गुणवत्ता सर्वेक्षण, भुगतान आयुक्त से संबंधित कार्यों आदि की निगरानी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

कोयला नियंत्रक का संगठन विभिन्न संविधियों से उत्पन्न विभिन्न सांविधिक कार्यों को निपटाता है :

(i) कोलियरी नियंत्रण नियमावली, 2004

(ii) कोयला खान (संरक्षण और विकास) अधिनियम, 1974 और कोयला खान (संरक्षण और विकास) नियम, 1975 (2011 में संशोधित)।

(iii) सांख्यिकी एकत्रीकरण अधिनियम, 2008 और सांख्यिकी एकत्रीकरण (केंद्रीय) नियमावली, 2011

(iv) कोयला धारी क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) आदि।

इसके अलावा नियंत्रक संगठन निम्नलिखित कार्य भी करता है:

(क) केप्टिव कोयला/लिग्नाइट ब्लॉकों के विकास की प्रगति की मानीटरिंग।

(ख) वाशरियों की मानीटरिंग।

(ग) विभिन्न कोयला उत्पादों के निपटान में मानीटरिंग।

(घ) खान बंद करने संबंधी योजनाओं की प्रस्तुति पर अनुवर्ती कार्रवाई करना तथा विभिन्न कोयला/लिग्नाइट कंपनियों के साथ एस्क्रो लेखा करार पर हस्ताक्षर करने हेतु भारत सरकार की ओर से एक मात्र प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना।

01 अप्रैल, 2015 से 31 दिसंबर, 2015 तथा 1 जनवरी, 2016 से 31 मार्च, 2016 तक (अनंतिम) की अवधि के दौरान कोयला नियंत्रक संगठन द्वारा निष्पादित कार्य का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:–

कोयला खानों को खोलने तथा पुनः खोलने के लिए अनुमति प्रदान करना

कोयला नियंत्रक संगठन ने 01 अप्रैल, 2015 से 31 दिसंबर, 2015 के दौरान 24 कोयला/लिग्नाइट खानों को खोलने तथा पुनः खोलने और 01 जनवरी, 2016 से 31 मार्च, 2016 की अवधि में 6 (अनंतिम) खानों को खोलने/पुनः खोलने की अनुमति प्रदान करने की संभावना है।

कोयलाधारी क्षेत्रों (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 8 के अंतर्गत मामलों का निपटान

01 अप्रैल, 2015 से 31 दिसंबर, 2015 की अवधि के दौरान कोयला नियंत्रक ने सीबीए अधिनियम, 1957 की धारा 8 के अंतर्गत 7 अधिसूचनाओं तथा 1जनवरी, 2016 से 31 मार्च, 2016 की अवधि में अनंतिम 3 अधिसूचनाओं आंकड़ों के संबंध में कोयला मंत्रालय को रिपोर्ट प्रस्तुत किया है।

कोयला नमूने एकत्रित एवं विश्लेषित, सांविधिक शिकायतें प्राप्त एवं निपटान

कोलियरी नियंत्रण नियमावली (सीसीआर), 2004 के अंतर्गत कोयला नियंत्रक कोलियरियों से प्रेषित कोयले की गुणवत्ता की मॉनिटरिंग करता है तथा उपभोक्ताओं की गुणवत्ता से संबंधित शिकायतों का भी निपटान करता है।

31.12.2015 तक प्राप्त सांविधिक शिकायतों की संख्या 78 है। मामलों के समाधान के लिए कार्रवाई की गई है। मैसर्स सीआईएमएफआर द्वारा सीआईएल तथा एससीसीएल की विभिन्न सहायक कंपनियों में नमूने लिये जा रहे हैं।

उत्पाद शुल्क का संग्रहण

एक अप्रैल 2015 से 31 दिसंबर, 2015 = 452.15 करोड़ रु.

1 जनवरी, 2016 से 31 मार्च, 2016 तक संभावित संग्रहण = 150 करोड़ रु.

कोयला सांख्यिकी का संग्रहण, समेकन तथा प्रकाशन

कोयला तथा लिग्नाइट के उत्पादन और प्रेषण के विभिन्न मानदंडों के संबंध में संग्रहण, समेकन, प्रकाशन तथा आंकड़ों के प्रसार के लिए एकमात्र एजेंसी होने के नाते सीसीओ केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, आरबीआई, डीआईपीपी, भारतीय खान ब्यूरो तथा अन्य राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को मासिक आंकड़े उपलब्ध कराता है। यह वार्षिक कोयला निर्देशिका तथा अनंतिम कोयला सांख्यिकी भी प्रकाशित करता है। कोयला निर्देशिका, 2013–14 तथा अनंतिम कोयला सांख्यिकी, 2014–15 पहले ही वर्ष 2015–16 में प्रकाशित की जा चुकी हैं। कोयला निर्देशिका 2014–15 का कार्य प्रगति पर है।

कोयला ब्लॉकों की मॉनिटरिंग तथा प्रगति

कोयला नियंत्रक कार्यालय कैप्टिव/लिग्नाइट ब्लाकों की प्रगति संबंधी रिपोर्ट एकत्र और समेकित करता है। यह कोयला ब्लाकों से संबंधित बैंक गारंटी मुद्दों की मॉनिटरिंग भी करता है तथा जब कभी आवश्यक हो आईएमजी तथा अन्य बैठकों के लिए मंत्रालय की अपेक्षा अनुसार रिपोर्ट भेजता है।

खान बंद योजना तथा एस्क्रो लेखा करार का अनुपालन

कोयला नियंत्रक कार्यालय को अनुमोदित खान बंद योजना (प्रगामी तथा अंतिम) के अनुसार खनन क्षेत्रों की खान बंद कार्यकलापों के कार्यान्वयन एवं मॉनिटरिंग करने तथा पूर्ण सुरक्षा क्षेत्र फेंसिंग, संरक्षा एवं पुनरुद्धार कार्यों पर हुए व्यय के संबंध में सीएमपीडीआईएल /एनईईआरआई/आईएसएम जैसी सरकारी अधिसूचित संस्थानों से प्रमाणीकरण का कार्य करने तथा खान बंद योजना तैयार करने हेतु कोयला मंत्रालय के दिनांक 07.01.2013 के दिशा–निर्देशों के प्रावधान के अंतर्गत अनुमोदित खान बंद योजना के अनुसार वार्षिक खान बंद लागत, जहां कोयला नियंत्रक अनन्य रूप से लाभार्थी होगा, जमा करने हेतु किसी अधिसूचित बैंक में मियादी जमा एस्क्रो खाता खोलने का कार्य सौंपा गया है।

वर्ष 2015–16 के दौरान (दिसंबर, 2015 तक) 41 कोयला तथा लिग्नाइट खानों के लिए सरकार तथा निजी कंपनियों में एस्क्रो खाता खोलने के लिए कुल 34 त्रिपक्षीय एस्क्रो करार निष्पादित किये गए थे। 41 खानों में से तीन कोयला खानें सीआईएल/सहायक कंपनियों के अंतर्गत, 21 खानें एससीसीएल के अधीन तथा 12 कैप्टिव कोयला खानें और 5 लिग्नाइट खानें हैं।

वर्ष 2015–16 (31 दिसंबर, 2015 तक) के दौरान अधिसूचित बैंकों में एस्क्रो खाते में जमा की गई मूल राशि 1222.5415 करोड़ रु. (अनंतिम) थी।

प्रारंभ से लेकर 31 दिसंबर, 2015 तक 523 कोयला तथा लिग्नाइट खानों को कवर करते हुए कोयला/लिग्नाइट कंपनियों और अधिसूचित बैंकों तथा सीसीओ के बीच 472 त्रिपक्षीय एस्क्रो खाता करार निष्पादित किए गए हैं। 31 दिसंबर, 2015 तक एस्क्रो खाते में ब्याज सहित जमा की गई कुल राशि 3801.51 करोड़ रु. (अनंतिम) है।

वर्ष 2015–16 के दौरान (31.12.2015 तक) एस्क्रो खाते खोलने तथा उसमें वार्षिक क्लोजर लागत जमा करने की स्थिति :–

क्र.सं.	31.12.2015 तक सीसीओ के साथ हस्ताक्षरित त्रिपक्षीय एस्क्रो करार की संख्या	खानों की संख्या जिनके लिए एस्क्रो खातों पर हस्ताक्षर किया गया है।	वर्ष 2015–16 (दिसम्बर, 2015 तक) के लिए एस्क्रो खाते में जमा की गई राशि (करोड़ रु. में)	प्रारंभ से 31.12.2015 तक एस्क्रो खाते में जमा की गई कुल राशि (करोड़ रु. में)
1.	472	523	1222.54	3801.51

भुगतान आयुक्त के रूप में कार्य

कोकिंग कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 तथा कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 के अनुसरण में वर्ष 1972–73 में राष्ट्रीयकृत कोयला खानों के पूर्व मालिकों की देयताओं के निपटान के लिए राशि के भुगतान के प्रयोजन हेतु धनबाद तथा कोलकाता में भुगतान आयुक्त (सीओपी) के दो कार्यालय स्थापित किये गए थे। धनबाद कार्यालय में अधिकांश मामलों को निपटाने के पश्चात उस कार्यालय को बंद कर दिया गया था तथा शेष कार्यों को भुगतान आयुक्त कार्यालय, कोलकाता को 1987 में अंतरित कर दिया गया था।

तत्पश्चात, आर्थिक सुधार आयोग (ईआरसी) की सिफारिशों के अनुसरण में भुगतान आयुक्त, कोलकाता कार्यालय को 6 जून, 2007 से बंद कर दिया गया है। भुगतान आयुक्त कार्यालय, कोलकाता के शेष कार्यों को कोयला नियंत्रक कार्यालय को

अंतरित कर दिया गया है। वर्तमान में कोयला नियंत्रक पदेन भुगतान आयुक्त के रूप में कार्य कर रहा है।

कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत कोयला नियंत्रक को भुगतान आयुक्त के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया है।

सीओपी का निष्पादन निम्नानुसार है:–

क्र. स.	विवरण	कोकिंग कोल खान (राष्ट्रीय करण) अधिनियम, 1972	कोयला खान (राष्ट्रीय करण) अधिनियम, 1973
1	केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत कोलियरियों की संख्या और भुगतान आयुक्त द्वारा खोले गए तदनुरूपी कोलियरी खाते	226	711
2	31.03.2014 तक बंद कोलियरी खातों की संख्या	187	627
3	अप्रैल, 2014 से मार्च, 2015 (2014–15) के दौरान बंद कोलियरी खातों की संख्या	शून्य	शून्य
4	31.03.2015 तक बंद कोलियरी खातों की संख्या	187	627
5	31.03.2015 तक अभी बंद किये जाने वाले कोलियरी खातों की संख्या	39	84
6	2014–15 के दौरान भुगतान की गई मुआवजा राशि	000.70 लाख रुपए	038.59 लाख रुपए
7	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार भुगतान हेतु शेष राशि	348.74 लाख रुपए	720.26 लाख रुपए